4/

ई-ऑफिस पत्रावली संख्या- 9-5002(001)/26/2024
संख्या- 402 /2024/नौ-5-2024/001-E-1801848

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- राज्य मिशन निदेशक(अमृत-2.0), स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उ०प्र० लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5 — लखनऊ : दिनांक 30 मार्च, 2024

विषय:- अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्डल अर्बन ट्रांसफारमेशन (AMRUT-2.0) योजनान्तर्गत A&OE मद से सूचना, शिक्षा एवं संचार (I.E.C.) घटक हेतु प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि/अवमुक्त/स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन (AMRUT-2.0) के अंतर्गत अनु सचिव, आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या-K-14012/12/2023-AMRUT-11B/9157013, दिनांक 08.02.2024 द्वारा अटल मिशन फॉर रिजूवनेशन एण्ड अर्बन ट्रांसफारमेशन (AMRUT-2.0) अंतर्गत A&OE से सूचना, शिक्षा एवं संचार (I.E.C.) घटक हेतु प्राप्त केन्द्रांश की धनराशि **रूपये 163.00 लाख (रूपये एक करोड़ तिरसठ लाख मात्र)** को निम्नांकित विवरण, शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए राज्य मिशन निदेशक अमृत-2.0 के नोडल खाते में निर्वतन पर रखे जाने पर राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते / प्रतिबन्धों

(1) स्वीकृत धनराशि निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा कोषागार से आहरित कर स्टेट मिशन डायरेक्टर (अमृत-2.0 योजना) के पदनाम से खुले राष्ट्रीकृत बैंक में स्टेट नोडल खाते में रखी जायेगी एवं इस संबंध में जारी शासनादेशों के सापेक्ष अवमुक्त की जायेगी।

(2) इस संबंध में भारत सरकार के पत्र संख्या- K-14012/12/2023-AMRUT-11B/9157013, दिनांक 08.02.2024 द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत धनराशि का व्यय अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत स्वीकृत उन्हीं कार्यो पर किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृति दी जायेगी। उक्त स्वीकृत धनराशि किसी अन्य कार्य पर व्यय नहीं की जायेगी।

(4) उक्त धनराशि का व्यय अमृत-2.0 योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो प्रतिबन्ध, दिशा-निर्देशों एवं गाइड लाइन के अनुसार किया जायेगा।

(5) इस संबंध में वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक-17-मार्च, 2023 व अन्य सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस शासनादेश में वित्त विभाग द्वारा विशिष्ट शर्तों का अनुपालन विभागों/उपक्रमों के वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, सुनिश्चित करेंगे। यदि निर्धारित शर्तों में से किसी प्रकार का विचलन हो, तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित तत्काल प्रशासकीय तथा वित्तीय विभाग को दी जाये।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,63,00,000 (रुपये एक करोड़ त्रेसठ लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2217051910105 अटल मिशन फार रिजुवनेशन

एण्ड अरबन ट्रान्शफारमेशन के अन्तर्गत सहायता (अमृत- 2.0) (के.25/रा.33.33-के.) (10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर) मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E-9-704-X-2023-24, दिनांक- 30 मार्च, 2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
30.03.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

<u>संख्या- 402(1) /2024/नौ-5-2024 /001-E-1801848, तद् दिनांक।</u>
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
2- महालेखाकार(वर्क्स लेखा अनुभाग) उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
3- सचिव, भारत सरकार, शहरी विकास मंत्रालय, नई दिल्ली ।
4- मिशन निदेशक (अमृत-2.0), शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
5- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन कोषागार, लखनऊ।
7- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षक, उत्तर प्रदेश प्रयागराज ।
8- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- अपर परियोजना निदेशक, क्षेत्रीय एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, उ0प्र0 लखनऊ।
10- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन।
11- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9/वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
12- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल को वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आज्ञा से,
30.03.2024

(कल्याण बनर्जी),
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।